ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-7* October-2020
Anthology : The Research

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आदर्शों का विवेचन

Discussion of The Ideals of The New National Education Policy 2020

Paper Submission: 10/10/2020, Date of Acceptance: 26/10/2020, Date of Publication: 27/10/2020

चतुर्भुज यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर,
लोकप्रशासन विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

देश में 34 वर्षों के उपरांत बनी नई शिक्षा नीति में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी के 6% खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है जो वर्तमान में शिक्षा पर खर्च होने वाले जीडीपी के 4.43% से लगभग 2.5% अधिक है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1985 से पूर्व इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाले वर्षों में भारत की शिक्षा पद्धति के संबंध में नीति नियंताओं को एक दिशा निर्देश प्रदान करेगी। यही कारण है कि नई शिक्षा नीति एकदम से आमूलचूल बदलाव की बात नहीं करती, बल्कि इसके विभिन्न लक्ष्यों को 2040 तक प्राप्त किए जाने की बात कहती है।

The new education policy after 34 years in the country has given special attention to issues like access, equality, quality, affordable education and accountability of education. This new education policy targets to spend 6% of GDP on education, which is currently about 2.5% more than the 4.43% of GDP spent on education. Also, the Ministry of Human Resource Development will be renamed as Ministry of Education. It is noteworthy that before 1985, its name was Ministry of Education. The new National Education Policy will provide a guideline to policymakers regarding the education system of India in the coming years. This is the reason that the new education policy does not talk about radical change, but it is about achieving its various goals by 2040.

मुख्य शब्द : शिक्षा नीति, इंटर्नशिप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निजीकरण उदारीकरण वैश्वीकरण, आर्थिक सुधार, स्वायत्तता, बहुविषयक शिक्षा, अनुसंधान विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच ।
Education Policy, Internship, Artificial Intelligence, Privatization, Liberalization, Globalization, Economic Reform, Autonomy, Multidisciplinary Education] Research University, National Educational Technology Forum.

प्रस्तावना

शिक्षा नीति किसी भी देश के भविष्य की रूपरेखा को निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है। एक लंबी जद्दोजहद के उपरांत स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पूर्व 1968 एवं 1986 (संशोधित 1992) में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने जून 2017 में एक कमिटी (डॉ. के. कस्तूरीरंगन) का गठन किया गया था। इस कमिटी ने 31 मई, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी । इससे पूर्व 2015 में टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में भी नई शिक्षा नीति तैयार करने के मसौदे के लिए समिति का गठन किया गया था जिसने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस समिति के मसौदे पर सहमति नहीं बनने के कारण ही भारत सरकार ने के.कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया था। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उपर्युक्त दोनों समितियों द्वारा तैयार मसौदे की संयुक्त झलक प्राप्त होती है।

नई शिक्षा नीति के संदर्भ में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व इसके विभिन्न पक्षों को जानना जरूरी होगा।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य है–

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों को सरलता से समझ कर उनका पूर्व की शिक्षा नीतियों एवं उनके परिणामों से तुलनात्मक अध्ययन करके इस नई शिक्षा नीति के रखे गए आदर्शों का मूल्यांकन करना।
2. विगत वर्षों के शिक्षा पर खर्च किए गए बजटीय आंकड़ों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में भारत में शिक्षा की दशा व दिशा की विवेचना करना।
3. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के संदर्भ में स्वायत्तता, शोध एवं गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना।

विस्तार

नई शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों को दो भागों में वर्गीकृत करके समझा जा सकता है। पहला स्कूली शिक्षा के संदर्भ में प्रावधान तथा दूसरा उच्च शिक्षा के संदर्भ में प्रावधान।

स्कूली शिक्षा

स्कूली शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नई शिक्षा नीति में यह प्रस्तावित किया गया है कि अभी तक प्रचलित 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 प्रणाली को अपनाया जाए। जिसके अंतर्गत शुरुआती 5 वर्षीय शिक्षा अर्थात 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला– 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी/बालवाटिका/प्री–स्कूल (Pre School) के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' (Early Childhood Care and Education& ECCE) की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा– 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे का विस्तार किया गया है, जिसके तहत अब 6 से 14 वर्ष को बढ़कर 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति में 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का भी प्रावधान रखा गया है।राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

नई शिक्षा नीति 2020 कि सबसे महत्वपूर्ण बातों में एक बात यह भी है कि कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। राज्य से आग्रह किया गया है कि मातृभाषा की इस नीति को कक्षा 8 तक आगे बढ़ाया जा सकता है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त मूक बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा(Indian Sign Language& ISL) को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणालीधविधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलनको प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों की प्रगति की मूल्यांकन के लिए 'परख' (PARAKH) नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही छात्रों की मूल्यांकन पद्धति में कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence) अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करके मूल्यांकन पद्धति में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता को समावेशित करने की बात कही गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छोटे स्कूलों में संसाधनों की कमी को देखते हुए कई छोटी स्कूलों को मिलाकर एक मॉडल स्कूल परिसर बनाए जाने की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संसाधनों, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षित शिक्षकों एवं अन्य प्रशिक्षकों को सभी स्कूल परिसर में प्रभावी रूप से साझा किया जा सके।

इन सब पहलुओं के साथ–साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के मानव संसाधन विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। शिक्षकों को से शैक्षिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगाए जाने की परंपरा को बंद करने का सुझाव रखा गया है। साथ ही शिक्षकों के स्थायित्व के लिए भी नई शिक्षा नीति में एक शिक्षक को एक स्कूल में कम से कम 5 से 7 वर्ष तक तैनात किए जाने का भी मसौदा प्रस्तुत किया गया है। शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाते हुए उसे कार्य प्रदर्शन से जोड़ने का सुझाव इस नई शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया गया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कई सुझाव प्रस्तुत मसौदे में रखा गया है जैसे वर्ष 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत B-Ed पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया जाना अथवा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (National Professional Standards for Teachers& NPST) का विकास किया जाना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के

सहयोग के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' (National Curriculum Framework for Teacher Education NCFTE), 2021, का विकास किया जाना आदि। प्रस्तुत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों के नियामक के लिए भी एकरूपता स्थापित करने पर बल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र राज्य स्कूल और प्राइवेट अथॉरिटी स्थापना की जाए जो सरकारी विद्यालयों के साथ–साथ निजी विद्यालय के लिए भी एक यूनिफॉर्म मानकों का निर्धारण करें।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई व्यापक बदलाव किए गए हैं। जिसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब यह है कि 2035 तक हर दूसरा व्यक्ति उच्च शिक्षा हासिल करे। इसके लिए देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

उच्च शिक्षा में नयी शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण नवाचार है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किए जाने का प्रावधान होना। अभी यदि कोई छात्र तीन साल इंजीनियरिंग पढ़ने या छह सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढाई नहीं कर पाता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में एक वर्ष के बाद पढाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष के बाद डिप्लोमा और तीन वर्ष के बाद पढाई छोड़ने के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के उपरांत शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त हो सकेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए यह अवधि एक या दो साल हो सकेगी। अर्थात 3 वर्षीय स्नातक डिग्री वालों के लिए यह 2 वर्ष का तथा 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वालों के लिए 1 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा। इंटीग्रेटेड बैचलर्स या मास्टर्स 5 साल का होगा। एमफिल को समाप्त किया जाएगा एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला लिया जा सकेगा। जो न्यूनतम 4 वर्ष का कार्यक्रम रहेगा। इतना ही नहीं इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर कोई छात्र किसी कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है। इसके लिए नई शिक्षा नीति में

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) का प्रावधान रखा गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल स्वरूप में उक्त 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) के अंतर्गत सुरक्षित रखा जाएगा। जिससे अलग–अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। इसे सरल शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि यदि कोई छात्र बीच में अध्ययन छोड़कर कोई अन्य गतिविधि करने लग जाता है, तो वह कभी भी अपने बाकी के क्रेडिट स्कोर को पूरा करके डिग्री प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति वर्तमान व्यवस्था की तुलना में बहुत लचीलापन लिए हुए हैं जिससे छात्रों को कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे फलस्वरुप निश्चित रूप से ही उच्च शिक्षा में ड्रॉप रेट का अनुपात कम होगा।

नई शिक्षा नीति 2020 में चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India &HECI) का गठन का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों या निकायों का निर्धारण किया गया है।

1. विनियमन हेतु– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council & NHERC) ।
2. मानक निर्धारण हेतु– सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council & GEC) ।
3. वित पोषण हेतु– उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council & HEGC) ।
4. प्रत्यायन हेतु– राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council & NAC)।

अर्थात सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भारत उच्च शिक्षा आयोग नामक यह स्वतंत्र अथॉरिटी उच्च शिक्षा के रेगुलेटरों का स्थान लेगी, जिसमें पेशेवर और व्यावासियक शिक्षा के रेगुलेटर भी शामिल हैं। अब तक उच्च शिक्षा में प्रभावी भूमिका निभाने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का काम भी केवल उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने तक सीमित हो जाएगा। वर्तमान में कार्यरत नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रेडेशन काउंसिल (एनएएसी) एक एक्रेडेटड निकाय है जो यूजीसी के अंतर्गत आती है। प्रस्तुत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एनएएसी को यूजीसी से अलग करके एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय बनाने का सुझाव दिया है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एनएएसी टॉप लेवल की एक्रेडेटर के तौर पर काम करेगी और विभिन्न एक्रेडिटेशन संस्थानों को लाइसेंस जारी करेगी जोकि उच्च शिक्षण संस्थानों का हर पांच से सात वर्षों में एक बार मूल्यांकन करेगी। सभी मौजूदा शिक्षण संस्थानों का एक्रेडेशन 2030 तक किए जाने का लक्ष्य इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखा गया है।

नई शिक्षा नीति में महाविद्यालयों की संबद्धता आगामी 15 वर्षों में समाप्त हो किए जाने का भी प्रावधान है। उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अर्थात महाविद्यालय अपने आप में एक स्वायत्त इकाई होगी जो स्वतंत्र रूप से अपने पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण कर सकेगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी एक विधा (Single discipline) के विश्वविद्यालय के स्थान पर 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities& MERU) की स्थापना का मसौदा प्रस्तुत

किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन तीन नई प्रकार की श्रेणियों में किया जाएगा।

(I) शोध विश्वविद्यालय ये शोध और शिक्षण दोनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। (ii) शिक्षण विश्वविद्यालय– ये शिक्षण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे साथ ही महत्वपूर्ण शोध भी करेंगे। (iii) कॉलेज– ये केवल अंडरग्रैजुएट स्तर की ही शिक्षा देंगे।

उच्च शिक्षण संस्थाओं का उपयुक्त वर्गीकरण इन संस्थानों की वित्तीय स्वायत्तता के आधार पर प्रदान किया जाएगा। शोध विश्वविद्यालय का दर्जा पूरी उच्च शिक्षण संस्थान को प्रदान किया जाएगा समिति रूप से स्वायत्त होगी। इसके साथ ही इस नई शिक्षा नीति में वैश्विक स्तर के शीर्ष अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस को भारत में खोलने की अनुमति देने का भी प्रावधान किया गया है। शोध को बढ़ावा देने के लिए भी नई शिक्षा नीति में विशेष बल दिया गया है जिसके अंतर्गत पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को प्रोत्साहन देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का विकसित किया जाएगा।

अन्य विविध प्रावधान

स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के अतिरिक्त भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई अन्य पहलुओं को समाहित किया गया है जिन्हें संक्षिप्त रूप में निम्न प्रमुख बिंदुओं में समझा जा सकता है–

1. भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये एक 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान' (Indian Institute of Translation and Interpretation & IITI) की स्थापना एवं 'फारसी, पाली और प्राकृत भाषाओं के लिये राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान)' National Institute (or Institutes) for Pali, Persian and Prakrit, स्थापित करने का प्रावधान किया गया है साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से रूप में मातृभाषा भाषा को बढ़ावा दिये जाने का सुझाव दिया है।
2. 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' (National Educational Technology Forum & NETF) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना का प्रावधान किया गया है जो शिक्षा के संदर्भ में योजनाओं व नीतियों के निर्माण में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सुनिश्चित कर सकेगा।
3. नई शिक्षा नीति के तहत देश के सभी प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराए जाने की बात भी कही गई है। इस प्रकार की परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कराएगा। हालांकि, यह ऑप्शनल होगा।
4. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। जो कि शिक्षा का सबसे सर्वोच्च निकाय होगा। यह शिक्षा आयोग निरंतर और सतत आधार पर देश में शिक्षा के दृष्टिकोण को विकसित करने, उसे लागू करने, उसका मूल्यांकन करने और उस पर पुनर्विचार करके समय–समय पर नवीन दृष्टिकोण को विकसित करेगा एवं विभिन्न नियामक के संस्थानों के कार्यों में निगरानी एवं सामंजस्य स्थापित करने का भी कार्य करेगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन

किसी भी देश के लिए उसकी शिक्षा नीति का स्थान अन्य नीतियों से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिक्षा से ही उस राष्ट्र के भविष्य की दशा व दिशा तय होती है। यही कारण है कि देश में नई शिक्षा नीति को लेकर एक व्यापक बहस छिड़ी हुई है। लेकिन नई शिक्षा नीति को लेकर कोई भी विचार विमर्श करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक होगा कि यह कोई कानून नहीं है बल्कि नीतिगत दस्तावेज है। इसमें रखे गए लक्ष्य सिर्फ आदर्श स्थिति है जिन्हें पूरा किया जाना सरकारों द्वारा राजनीतिक इच्छाशक्ति, उपलब्ध संसाधनों की स्थिति एवं सामाजिक संस्कृति द्वारा सरकारों के प्रयासों में किए गए सहयोग पर निर्भर करता है। इसका यह अर्थ हुआ कि शिक्षा नीति में रखे गए आदर्शों को शत–प्रतिशत लागू किया जाएगा, यह अनिवार्य नहीं है बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारी इस नई शिक्षा नीति से प्रेरित होकर किस प्रकार के कदम उठाती है।

निश्चित तौर पर ही नई शिक्षा नीति में उल्लेखित बातें भारत में भविष्य की शिक्षा व्यवस्था की दशा व दिशा की एक सुनहरी तस्वीर रेखांकित करती है। यदि इन्हें शत–प्रतिशत लागू किया जाए तो निश्चित ही भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आएगा। लेकिन केवल दस्तावेज में प्रस्तुत आदर्शों को आधार मानकर यदि शिक्षा नीति का मूल्यांकन किया जाए तो यह है वास्तविक धरातल से इत्तर मूल्यांकन होगा। नई शिक्षा नीति का मूल्यांकन केवल इसके दस्तावेज के आधार पर ही नहीं किया जा सकता है बल्कि स्वतंत्रता के उपरांत अन्य शिक्षा नीतियों में रखे गए लक्ष्यों एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच अंतराल तथा विगत दो दशकों में दो महत्वपूर्ण सरकारों के प्राथमिकताओं एवं प्रदर्शन के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही यह संभव हो सकता है।

नई शिक्षा नीति में सार्वभौमीकरण पर विशेष बल दिया गया है। इसी के तहत इस शिक्षा नीति में 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन (जीईआर) के साथ पूर्व–विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाना होगा। साथ ही उच्च शिक्षा में जीईआर को 2035 तक वर्तमान 26.3% से 50% तक बढ़ाया जाने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जानी होगी। तथा इन सब के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा मिलकर जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किए जाने का भी लक्ष्य रखा है। निश्चित रूप से ही नई शिक्षा नीति के उक्त लक्ष्य एक नई आशा को जन्म देती है। लेकिन जब इन लक्ष्य के धरातल पर उतरने की चुनौतियां एवं संभावनाओं पर विचार किया जाता है तो एक दूसरी तस्वीर ही सामने आती है। गौरतलब है कि पहली शिक्षा नीति के लिए गठित कोठारी आयोग ने भी शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किए जाने

का ही लक्ष्य रखा था जिसे 55 वर्षों के उपरांत भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। सूचना का अधिकार कानून 2009 लागू होने के उपरांत शिक्षा के खर्च में अवश्य ही बढ़ोतरी हुई है लेकिन अभी भी विगत दो दशकों का शिक्षा पर औसत खर्च जीडीपी का 3% से कम है। इसके साथ ही यदि सरकारों के विगत एक दशक के बजटीय आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाती है। गौरतलब है कि केंद्रीय बजट के वर्ष 2014–15 के 17.95 लाख करोड़ के कुल बजट में शिक्षा मद 83000 करोड रुपए थी जिसे मोदी सरकार ने घटाकर 69000 करोड रुपए कर दिया था। वहीं 2020–21 के कुल बजट 30.42 लाख करोड़ में शिक्षा बजट की मद 99300 करोड रुपए रखी गई है। इस प्रकार जहां उपर्युक्त 6 वर्ष की समयावधि में कुल बजट में लगभग 45% की बढ़ोतरी हुई, वहीं शिक्षा मद पर केवल 19.6% की बढ़ोतरी हुई है। अर्थात शिक्षा मद पर प्रतिवर्ष होने वाली बढ़ोतरी अन्य मदों की तुलना में निरंतर कम होती जा रही है। दूसरी ओर यदि मनमोहन सिंह सरकार बनाम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शिक्षा बजट में तुलना की जाए तो जहां 2009 से 2014 के बीच कुल बजट का औसतन 3.19% शिक्षा पर खर्च किया गया वहीं 2014 से 2019 के बीच यह कुल बजट का 2.88% शिक्षा पर खर्च किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों के बजटों का भी तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए तो कमोबेश यही स्थिति सामने आती है। यहां यह प्रश्न उठना लाजमी ही ही हो जाता है कि जब शिक्षा मद पर खर्च की प्राथमिकता सरकारों की निरंतर कम होती जा रही है तो ऐसी स्थिति में नई शिक्षा नीति में रखे गए प्रस्तावित 6% का लक्ष्य को आखिर कैसे प्राप्त किया जा सकेगा ? कहीं यह भी पूर्व की शिक्षा नीतियों के समान सिर्फ एक कागजी दस्तावेज बनकर ही तो नहीं रह जाएगा ?

नई शिक्षा नीति पर सबसे अधिक बहस इसमें प्राथमिक शिक्षा में क्षेत्रीय या मातृभाषा में शिक्षा को लेकर चल रही है। नई शिक्षा नीति में पाँचवी क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। यह यह ध्यान देने योग्य बात है कि नई शिक्षा नीति कोई कानून नहीं है। भाषाई प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्र या राज्य सरकारों को कानून बनाना पड़ेगा। शिक्षा का अधिकांश ढांचा राज्य सरकारों के अधीन होने के कारण किसी केंद्र सरकार द्वारा किसी भाषाई कानून की कल्पना करना बेमानी है। वैसे उक्त शिक्षा नीति में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भाषाई प्रावधान बाध्यकारी नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि यह कोई नई नीतिगत बात नहीं है बल्कि प्रथम शिक्षा नीति में उल्लिखित त्रिभाषा फार्मूला का एक लचीला रूप है। जहां हिंदी,अंग्रेजी या किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान था लेकिन दक्षिणी राज्यों के विरोध को देखते हुए इस नीतिगत दस्तावेज में भाषाई विषय के प्रति एक प्रकार से मौन सादा गया है। अर्थात नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की बातें बेमानी प्रतीत होती है। यहां यह भी स्पष्ट नहीं है कि ये प्रावधान सरकारी शिक्षा के लिए है अथवा निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए भी है। यदि सरकारे कानून द्वारा अपने–अपने राज्यों में केवल सरकारी शिक्षण संस्थाओं में क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाओं के प्रावधान को लागू करती है तो यह एक गंभीर स्थिति को जन्म दे सकती है। क्योंकि इससे सरकारी शिक्षा एवं निजी शिक्षा के बीच की बढ़ती हुई खाई कई गुना अधिक हो जाएगी। यह भारत और इंडिया के बीच के विभाजन को और अधिक स्पष्ट कर सकती है। साथ ही अभिभावकों के विभिन्न कारणों से विभिन्न राज्य में प्रवास के दौरान बच्चों के भाषाई माध्यम को लेकर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। निश्चित रूप से ही नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा संबंधित प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। वैसे भी भाषा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम होती है। दुनिया के सभी विकसित देशों में मातृभाषा में ही शिक्षा से ज्ञान प्राप्ति का माध्यम अपनाया गया है। भारत में भी अंग्रेजी श्रेष्ठता की मनोवृत्ति पर नई शिक्षा नीति में स्पष्ट तौर पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता थी।

नई शिक्षा नीति में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात छात्र की शिक्षा व्यवस्था में लाया गया लचीलापन है। जिसके तहत अब विद्यार्थियों को विज्ञान एवं तकनीकी के विषयों के साथ साथ सामाजिक–ज्ञान एवं कला अथवा अन्य रूचि के विषय को लेना संभव हो सकेगा। इसके साथ साथ विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार 1 से 4 वर्ष तक की स्नातक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तथा उन्हें बीच में अध्ययन छोड़ने पर डिग्री से वंचित नहीं होना पड़ेगा बल्कि अध्ययन की समयावधि के आधार पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जा सकेगी। इस व्यवस्था में विद्यार्थी किसी विधा (Discipline) को छोड़कर किसी नई विधा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तथा उन्हें वापस लौट कर उसे पूरा कर सकेंगे। इसी क्रम में इसमें एमफिल को समाप्त करके सीधे पीएचडी किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से ही यदि उच्च शिक्षा में उपर्युक्त नवाचार होते हैं तो शिक्षा अधिक विद्यार्थी केंद्रित होगी। लेकिन नई शिक्षा नीति सिर्फ उपयुक्त लक्ष्यों का रेखांकन करती है इसे कैसे व किस प्रकार से लागू किया जाएगा, इस संबंध में कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है।

उच्च शिक्षा के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है नियामक की संस्थाओं को एकीकृत ढांचे के अंतर्गत लाना, यद्यपि बाहरी तौर पर अच्छा प्रतीत होता है लेकिन यदि इसका सही क्रियान्वयन नहीं हो तो यह है उच्च शिक्षा के विशेषज्ञकरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन भारतीय संघीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है आवश्यकता है कि इसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षामंत्रियों को सम्मिलित करके नीति आयोग के सामान संघीय स्वरूप प्रदान किया जाए। उच्च शिक्षण व्यवस्था को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाना ज्यादा बेहतर होगा। उच्च शिक्षा के अत्यधिक केंद्रीकरण को उचित नहीं कहा जा सकता है।

विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस देश में खोलना भी एक विवादित विषय रहा है इसमें ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि विदेशी

विश्वविद्यालय के नाम पर दोहे में दर्जे के विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को देश में शिक्षा के नाम पर व्यापार करने की छूट दे दी जाए। ज्यादा बेहतर यही होगा कि हमारे देश के विश्वविद्यालयों को ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। नई शिक्षा नीति में बहु विषय विश्वविद्यालय का प्रावधान निश्चित तौर पर की उच्च शिक्षक को एक नई ऊंचाइयों पर स्थापित करने वाला कदम हो सकता है लेकिन जहां देश के अधिकांश निजी उच्च शिक्षण संस्थाएं प्रभावशाली राजनीतिज्ञ अथवा कॉरपोरेट के हाथों में हो वहां भारत जैसे देश में इन प्रावधानों के जोड़ तोड़ कर क्रियान्वित किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति में शोध के प्रोत्साहन के संदर्भ में कहा गया है लेकिन विगत कुछ वर्षों के शोध के आंकड़ों से नई शिक्षा नीति के शब्द मेल नहीं खाते हैं क्योंकि भारत में शोध पर होने वाला खर्च मात्र जीडीपी का 0.6 से 0.7 प्रतिशत के बीच है जो वैश्विक स्तर पर निम्नतम श्रेणी में आता है। स्वयं के. कस्तूरीरंगन कमिटी ने बताया है कि भारत में शोध और नवाचार में कुल निवेश 2008 में 0.84% के मुकाबले गिरकर 2014 में 0.69% रह गया। भारत की तुलना में चीन अपनी जी टीवी का 2.1%, अमेरिका, 2.8%, दक्षिण कोरिया 4.2% तथा इजराइल 4.3% शोध व नवाचार पर खर्च करता है।

नई शिक्षा नीति निश्चित ही एक व्यापक दस्तावेज है जिसे किसी एक लेख में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता लेकिन उपर्युक्त कुछ आधारभूत लक्ष्यों एवं उनके संबंध में धरातलीय यथार्थता का मूल्यांकन किया जाए तो निश्चित रूप से ही यह कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति एक सुंदर स्वप्निल आदर्शों को सामने रखती है। इन्हें पूरा किया जाने के लिए सरकारों को दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ शिक्षा के संबंध में अपनी प्राथमिकताओं में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। यह तब तक संभव प्रतीत नहीं होता है जब शशिक्षाश एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में परिणित नहीं हो जाए एवं भारत के राजनीतिक घटनाक्रमों जैसे चुनाव आदि में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बन जाए। इस संबंध में भारत के नागरिक समाज को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *Kumar Risen, Rana Singh, (2020), India's National Education Policy 2020] National Press-*
2. *Saxena, Manoj K., (2019), New Education Policy on Higher Education, Prabhat Prakashan.*
3. *Sahoo, Amaresh Chandra, (2019), Early Childhood Care and Education, Kaveri Prakashan.*
4. *चक्रवर्ती विद्युत, प्रकाश चंद (2012), वैश्वीकरण दुनिया में लोक प्रशासनरू सिद्धांत व पद्धतियाँ,।ळम् पब्लिशर नई दिल्ली 15.*
5. *Ramaswamy, P.R., (2002) The Challenges of Globalisation, IJPA, IIPA, New Delhi.*
6. *वॉन वीजसैकर, अर्नस्ट, ओरान यंग और मैथियस फिंगर (संपादक), (2005), निजीकरण करने के लिए सीमा,अर्थस्कैन, लंदन।*
7. *नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नवभारत टाइम्स, 31 जुलाई 2020.*
8. *सिंह, प्रोफेसर दिनेश (30 जुलाई, 2020). "स्कूली और उच्च शिक्षा की बेड़ियां खोलेगी नई शिक्षा नीति" द क्विंट।*
9. *शशि थरूर, 31 जुलाई 2020, 'कई लक्ष्य सच्चाई से परे, बजट पर चिंता'. आज तक।*
10. *10.सिंह, सरोज (30 जुलाई 2020). "नई शिक्षा नीति 2020" सिर्फ आरएसएस का एजेंडा या आम लोगों की बात भीष् बीबीसी हिन्दी।*